

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर 2022—आश्विन 8, शक 1944

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, साईल सिद्दीकी पुत्री श्री अंसार सिद्दीकी सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा नाम साईल सिद्दीकी (SAEIL SIDDIQUI) है जो मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में लिखा गया है. जबकि मेरे पासपोर्ट क्रमांक J3030044 में मेरा नाम (SAYIL SIDDIQUI) लिखा है जो कि गलत है, मेरा सही नाम साईल सिद्दीकी (SAEIL SIDDIQUI) है अतः मेरे पासपोर्ट क्रमांक J3030044 में मेरा सही नाम साईल सिद्दीकी (SAEIL SIDDIQUI) लिखा एवं पढ़ा जाए. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम

(SAYIL SIDDIQUI)

(G-1635)

नया नाम

(SAEIL SIDDIQUI)

पता:- अबाडपुरा कम्पू लश्कर ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमति रक्षा भागचंदानी सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम पलक रामचंदानी पुत्री श्री मुकेश कुमार रामचंदानी (PALAK RAMCHANDANI D/o SHRI MUKESH KUMAR RAMCHANDANI) था मेरा विवाह सिंधी रिती-रिवाज से दिनांक 25-04-2022 को श्री राज भागचंदनी आत्मज श्री अशोक भागचंदानी के साथ हो गया है शादी के बाद मेरा परिवर्तित नाम श्रीमति रक्षा भागचंदानी पत्नी श्री राज भागचंदनी (SMT RAKSHA BHAGCHANDANI W/o RAJ BHAGCHANDANI) हो गया है तथा भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जाये एवं मेरे सभी दस्तावेजों में यही पढ़ा जाये. सर्वजन एवं आमजन सूचित हो.

पुराना नाम

(पलक रामचंदानी)

(G-1636)

नया नाम

(रक्षा भागचंदानी)

निवासी-मकान नंबर-887, शिवाजी वार्ड,
गांधीनगर, जिला भोपाल (म.प्र.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं पूर्व आधार कार्ड में मेरा नाम सुनील वंशकार लिखा गया है बाद में मेरा सरनेम वर्मा अर्थात् सुनील वर्मा आधार कार्ड में करा लिया था अब मैं अपनी स्वेच्छा से अपना सरनेम बदलकर वर्मा के स्थान पर वंशकार कराना चाहता हूँ, भविष्य में मुझे सुनील वंशकार (सुनील वंशकार) के नाम से जाना पहचाना जावे पता मकान नं. 42, बैरसिया, रोड माया इंकलेव फेस-1,2,3 नबीबाग भोपाल.

पुराना नाम
(सुनील वर्मा)

नया नाम
(सुनील वंशकार)

(G-1637)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, योगेन्द्र कुमार चंद आत्मज स्व. श्री जय बहादुर चंद, निवासी, एच/69,64 लाईन पुलिस कालोनी, भदभदा रोड भोपाल, मध्यप्रदेश, मेरा पुत्र युगल चंद है जो कि सेंट जोसेफ को एड स्कूल अरेरा कालोनी भोपाल में कक्ष 9वी का छात्र है. स्कूल में प्रवेश के समय मेरे द्वारा जो दस्तावेज (आधार कार्ड, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र) जमा किये गये थे उस आधार पर उन दस्तावेज में मेरा नाम योगेन्द्र चंद अंकित था उसके कारण स्कूल रिकार्ड में मेरा नाम योगेन्द्र चंद लिखा गया है जबकि मेरा पूरा नाम योगेन्द्र कुमार चंद है जो सही एवं सत्य है. अतः भविष्य में मुझे मेरे पूरे नाम योगेन्द्र कुमार चंद से जाना एवं पहचाना जाय.

पुराना नाम
(योगेन्द्र चंद)

नया नाम
(योगेन्द्र कुमार चंद)

(G-1638)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, योगेन्द्र कुमार चंद आत्मज स्व. श्री जय बहादुर चंद, निवासी, एच/69,64 लाईन पुलिस कालोनी, भदभदा रोड भोपाल मध्यप्रदेश मेरी पुत्री जाहन्वी चंद है जो कि सेंट जोसेफ को एड स्कूल अरेरा कालोनी भोपाल में कक्षा 5वी की छात्रा है. स्कूल में प्रवेश के समय मेरे द्वारा जो दस्तावेज (आधार कार्ड, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र) जमा किये गये थे उस आधार पर उन दस्तावेज में मेरा नाम योगेन्द्र चंद अंकित था उसके कारण स्कूल रिकार्ड में मेरा नाम योगेन्द्र चंद लिखा गया है जबकि मेरा पूरा नाम योगेन्द्र कुमार चंद है जो सही एवं सत्य है. अतः भविष्य में मुझे मेरे पूरे नाम योगेन्द्र कुमार चंद से जाना एवं पहचाना जाय.

पुराना नाम
(योगेन्द्र चंद)

नया नाम
(योगेन्द्र कुमार चंद)

(G-1639)

नाम परिवर्तन

मैं, शिवशंकर सिन्दा आत्मज श्री रमेश सिन्दा, आयु व्यस्क निवासी E-8/55, त्रिलोचन नगर, तिलंगा, भोपाल मध्यप्रदेश का मेरे पुत्र का नाम विद्यालय की अनुसूची में सृजल सिंह राजपूत आत्मज श्री शिवशंकर राजपूत एवं पत्नी का नाम अर्पणा राजपूत पत्नी श्री शिवशंकर राजपूत था जैसे मेरे द्वारा पुत्र एवं पत्नी का नाम बदलकर सृजल सिन्दा आत्मज श्री शिवशंकर सिन्दा एवं पत्नी का नाम श्रीमती अर्पणा सिन्दा पत्नी श्री शिवशंकर सिन्दा किया जा रहा है भविष्य में मेरे पुत्र को इसी नाम

सृजल सिन्दा आत्मज श्री शिवशंकर सिन्दा एवं पत्नी का नाम श्री अर्पणा सिन्दा पत्नी शिवशंकर सिन्दा से जाना पहचाना जावेगा एवं समस्त शासकीय अशासकीय विभागों में मेरे पुत्र का नया नाम ही मान्य होगा.

पुराना नाम
(सजल सिंह राजपूत)
पिता का नाम—शिवशंकर राजपूत
माता का नाम— अर्पणा राजपूत

नया नाम
(सृजल सिन्दा)
पिता का नाम—शिवशंकर सिन्दा
माता का नाम— अर्पणा सिन्दा

(G-1640)

CHANGE OF NAME

I, Dhanush jain (Previously- Dhanpal Jain) S/o Sri Nanhelal jain R/o Village - Sagra, Block Jabera, Patna Durg Distt. Damoh, MP do hereby by notify that I have changed my name to Dhanush jain of my own free will and henceforth, I may be known as Dhanush jain and not as Dhanpal jain. Gazette Notification in this regard is also being made by me.

Old Name
(Dhanpal Jain)

New Name
(Dhanush Jain)

(G-1641)

नाम परिवर्तन

मैं, सिमरन शर्मा पति चिन्मय शर्मा पिता श्री टहल सिंह आसी मेरा विवाह पूर्व नाम रविन्दर कौर आसी, निवासी, 1303 शारदा टॉकिज के सामने गोरखपुर, जबलपुर और मेरे विवाह उपरान्त नाम सिमरन शर्मा हो गया है. मेरे पास नए नाम के साथ सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं. पेन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, पासपोर्ट और मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाता है.

पुराना नाम
(रविन्दर कौर आसी)
(RAVINDER KAUR ASSI)

नया नाम
(सिमरन शर्मा)
(SIMRAN SHARMA)

(G-1642)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम सुरेखा शर्मा पुत्री राम अवतार शर्मा था, विवाह उपरांत मेरा नाम सुरेखा शर्मा से बदलकर सुरेखा भारद्वाज पत्नी शैलेष भारद्वाज हो गया है. यही नाम मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजों, बैंक पासबुक आदि दस्तावेजों में दर्ज है. अब मैं अपना नाम सुरेखा भारद्वाज से बदलकर सुरेखा भारद्वाज पत्नी शैलेष भारद्वाज कर रही हूं. भविष्य में मुझे सुरेखा भारद्वाज के स्थान पर सुरेखा भारद्वाज के नाम से जाना पहचाना, पढ़ा लिखा जावे.

पुराना नाम
(सुरेखा शर्मा/सुरेखा भारद्वाज)

नया नाम
(सुरेखा भारद्वाज)
पत्नी— श्री शैलेष भारद्वाज
पता— 52, कान्ती नगर, तानसेन रोड, ग्वालियर (म.प्र.)

(G-1643)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती प्रीति शर्मा पति स्वर्गीय श्री संदीप कुमार शर्मा जो कि बी.एस.एन. एल. विभाग ग्वालियर में कार्यरत थे जिनका स्वर्गवास दिनांक 08-03-2022 को हो चुका है. यह की मेरे पति की सर्विस बुक रिकार्ड में मेरे पुत्र का नाम गिराज शर्मा अंकित है जो कि उसका घर का नाम है, जबकि मेरे पुत्र के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में नाम कृष्णा संदीप शर्मा है जो कि सत्य व सही है. उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं.

पुराना नाम
(गिराज शर्मा)

नया नाम
(कृष्णा संदीप शर्मा)
निवासी :- ए-19,सूर्य नगर,
शब्दप्रताप आश्रम के पास, ग्वालियर (म.प्र.)

(G-1644)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी पिता इमरान अब्बासी एवं माता श्रीमती हीना कौसर का पूर्व में नाम मोहम्मद शिमरोस अब्बासी पिता इमरान अब्बासी था, अब मेरे पुत्र का नाम मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी हो गया है, जो आवश्यक दस्तावेजों में भी परिवर्तित हो गया है. मेरा पुत्र अब मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी के नाम से जाना, पहचाना जायेगा, तदानुसार सूचित हो.

पुराना नाम
(मोहम्मद शिमरोस अब्बासी)

नया नाम
(मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी)

(G-1645)

नाम परिवर्तन

मैं, अफजल खान पिता श्री मुन्ने खान, निवासी- म.नं. 09, गली नं. 01, इस्लामी गेट, शाहजहांनाबाद, भोपाल, मध्यप्रदेश का निवासी हूँ मेरा नाम अफजल खान पिता मुन्ने खान के नाम से जाना जाता था. आज दिनांक 25-08-2022 से मेरा नाम मोहम्मद अफजल पिता मुन्ने खां से जाना जाउंगा.

पुराना नाम
(अफजल खान)
(पिता- मुन्ने खान)

नया नाम
(मोहम्मद अफजल)
(पिता- मुन्ने खां)

(G-1646)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम साहिल जैन और मेरे पिता का नाम साकेत जैन व मेरी माता का नाम श्रीमती रेशु जैन है. मेरे और मेरे माता-पिता के सभी दस्तावेजों में हम सभी द्वारा इन्हीं नामों का उपयोग किया जाता है. मेरे जन्म प्रमाण-पत्र में भी इन्हीं नामों का उल्लेख है मेरे द्वारा जब क्राइस्ट स्कूल में प्रवेश लिया गया था तब मेरा नाम साहिल चौधरी दर्ज किया गया परन्तु मेरे उपनाम चौधरी होने के कारण मेरे माता पिता के नाम में भी उपनाम जैन के स्थान पर चौधरी दर्ज हो गया है. मेरे द्वारा क्राइस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गुना से अब तक कक्षा-12 तक की शिक्षा प्राप्त कर ली है. वर्तमान में मैं एम.आई.टी. कॉलेज, पूना से बी.बी.ए. कर रहा हूँ, यहां कि अंकसूचियों में भी माता-पिता का उपनाम में भी चौधरी ही दर्ज है. स्कूल एवं कॉलेज से जारी सभी अंकसूचियों में मेरे एवं माता-पिता के उपनाम में जैन के स्थान पर चौधरी दर्ज है, मेरे द्वारा अब सुधारने की प्रक्रिया की जा रही है.

(साहिल जैन)

पिता श्री साकेत जैन

माता श्रीमती रेशु जैन

निवासी- नई सड़क, गुना (म.प्र.).

(G-1647)

PUBLIC NOTICE

Know all men that the Firm M/s Shree Sidh Construction Jabalpur (Reg. No. 04-14-01-171-09 Year 2008-09 Dated 19.03.2009) formed on 02-03-2009. That Mr. Sanjay Kumar Choudhari joined the firm on 25-05-2022 (w.e.f. 01-04-2022) and just after admission Mr. Nitin Barsainya retired from firm. Now the firm has 2 Partners as Manoj Kumar Neekhra and Mr. Sanjay Kumar Choudhari.

(Manoj Neekhra)

Partner

For M/S Shree Sidh Construction, Jabalpur.

(G-1648)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स - SIDDHESHWAR DEVCON, पता- यू जी 24, अपोलो स्क्वेर, आर एस भण्डारी मार्ग, नियर जंजीरवाला स्क्वेर इंदौर (म.प्र.) 452001 पंजीयन क्र. 03-27-01-0170-22, पंजीयन दिनांक 02-08-2022 को गठित होकर पंजीयत हुई जिसमें अभिषेक शर्मा, विनीत सूद, देवेश सापडिया एवं मुकेश पाटीदार भागीदार थे और दिनांक 23-06-2021 को मुकेश पाटीदार ने अपनी स्वेच्छा से फर्म से बाहर हो गये और आज दिनांक 24-06-2021 से संशोधित फर्म में निम्नलिखित भागीदार हैं- अभिषेक शर्मा, विनीत सूद, देवेश सापडिया.

सूचनाकर्ता

SIDDHESHWAR DEVCON,

(अभिषेक शर्मा)

भागीदार.

(G-1649)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सरवर एण्ड कम्पनी की पार्टनरशिप डीड फर्म पंजीयक कार्यालय, फर्म्स एवं संस्थाएं इन्दौर में पंजीयन क्रमांक 03-32-01-00067-11 दिनांक 04-07-2011 से पंजीकृत है. मेसर्स सरवर एण्ड कम्पनी में तृतीय भागीदार के रूप में दानिश खान पिता नौशाद खान को दिनांक 10-01-2022 को भागीदार बनाया गया है. इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत पालनार्थ एवं सूचनार्थ है.

(सरवर खान)

मेसर्स सरवर एण्ड कम्पनी खण्डवा, रेल्वे स्टेशन खण्डवा (म.प्र.)

(G-1650)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s GLASS FIBRE TEXTILES, पता- 12, सिविल लाइन्स, भोपाल पंजी.क्र.115 सन् 1974-75 दिनांक 16-04-1974 है. दिनांक 01-05-2004 को Rahul Sonpar S/o VINOD SONPAR R/o 12, Civil Lines, Bhopal भागीदारी फर्म में सम्मिलित हुए. दिनांक 30-12-2013 को Smt. Shanti Devi Sonpar W/o Late Shri Govindram Sonpar R/o 12, Civil Lines Bhopal का निधन हो गया था, भागीदारी डीड दिनांक 29-08-2016 में इन्हें पृथक होना दर्शाया गया है. दिनांक 29-04-1992 को भागीदारी फर्म का पता परिवर्तन कर-2-4, Industrial Estate, Govindpura, Bhopal किया गया है.

(VINOD SONPAR)

Partner

For GLASS FIBRE TEXTILES,

2-4, Industrial Estate, Govindpura, Bhopal.

(G-1651)

न्यायालय की सूचनाएं**न्यायालय, पंजीयक, लोक सेवा न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व)****अनुभाग-बागली जिला-देवास मध्यप्रदेश**

बागली, दिनांक 22 अगस्त 2022

प्र.क्र. 0001-ब-113-2022-23

क्र.-2185-रीडर-1-2022.- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा न्यास अधिनियम 1951 (क्र. 30) की धारा 05 एवं उपधारा 02 और मध्यप्रदेश एवं मध्यप्रदेश लोक सेवा न्यास अधिनियम 1962 का नियम 5(1) अनुसार आवेदकगण श्री विनय बोथरा अध्यक्ष एवं सचिव सुनिल कुमार बम निवासीगण बागली श्री मनमोहन पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर

मंदिर ट्रस्ट न्यास बागली द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 04 के तहत लोक न्यास का पंजीयन हेतु आवेदन पेश किया गया है. जिसका प्रकरण क्रमांक 0001-ब-113-22-23 दर्ज है. उक्त न्यास की पंजीयन पर किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन आदि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ती दिनांक 22-08-2022 से 3 दिवस के अंदर मेरे न्यायालय में कार्य दिवस के समय 10.30 बजे उपस्थित होकर मय दस्तावेज के स्वयं या अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से पेश करें. बाद म्याद दावे आपत्ति मान्य नहीं होकर न्यास का पंजीयन कर दिया जावेगा.

(शोभाराम सोलंकी)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(G-1652)

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, डॉ अम्बेडकर नगर महु,
जिला इंदौर, मध्यप्रदेश

महु, दिनांक 03 अगस्त 2022

प्र.क्र.-बी-113-2022-23

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 9 की उपधारा (1) के तहत आवेदक न्यास आदिवासी सेवाश्रम ट्रस्ट कार्यालय 402 इशान अपार्टमेन्ट 13/2 स्नेहलतागंज इन्दौर द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 9 की उपधारा (1) के तहत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर श्री तपन भट्टाचार्य का नाम कम कर उनके स्थान पर श्री रत्नदीप भट्टाचार्य का नाम जोड़ने एवं श्री श्यामपद भट्टाचार्य का नाम कम करने हेतु न्यास पंजी में परिवर्तन का आवेदन प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जिसे उक्त परिवर्तन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह राजपत्र में सूचना प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात 30 दिवस के अन्दर न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्ति/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 10 अगस्त 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(अक्षत जैन)
अनुविभागीय अधिकारी

(G-1653)

**न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड मंदसौर,
जिला मंदसौर**

प्र. क्र. 2-बी-113(1)-21-22

मंदसौर, दिनांक 2 जून 2022.

-:नियम चार:-

(नियम 5 (1) देखिये)

सूचना पत्र

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिये

पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर जितना मंदसौर के समक्ष

आनंद विहार जैन श्वेताम्बर मूर्ति पुजक संघ धार्मिक एवं पारिमाथिक न्यास 03 आनंद विहार कालोनी मंदसौर ट्रस्ट मंदसौर, म.प्र.

डूके अजीत पिता माणकलालजी संघवी व श्री राजेन्द्र (दिलीप) डांगी पिता स्व श्री पुनमचंदजी डांगी निवासी मंदसौर द्वारा आनंद विहार जैन श्वेताम्बर मूर्ति पुजक संघ धार्मिक एवं पारिमाथिक न्यास 03 आनंद विहार कालोनी मंदसौर ट्रस्ट मंदसौर, तह मंदसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) धारा-4 के अधीन अनुसूची ने लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में 3 दिनांक 26/09/22 को विचार के लिये लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो ओर उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना, लोक न्यास है और उसका गठन करता/करती है।

अतः मेरे बिहारीसिंह पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर जिला मंदसौर का लोक न्यासो का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 26/09/22 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित लांच करना प्रस्तावित करता हूँ। अतः एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियो है लिखित कथन प्रस्तुत करे ओर कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिशः अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि दो समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियो का विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा।

संपत्ति का विवरण:-

:- आनंद विहार कालोनी नंबर 3 में आनंद विहार जैन श्वेताम्बर मूर्तिपुजक संघ के नाम से एक भूखण्ड जो कि श्री मोहन मेघनानी पिता झमटमलजी मेघनानी निवासी दशरथ नगर मंदसौर ने दान दिया है जिसका दानपत्र पंजीयन दिनांक 2य2य2021 को उप पंजीयक कार्यालय मंदसौर में करा लिया है। जिसकी चुर्तसीमा निम्नानुसार है-

पूर्व - कालोनी सडक
पश्चिम - भूखण्ड कमांक ए-1
उत्तर - कालोनी सडक
दक्षिण - पाथ वे

(अ) अचल सम्पत्ति:-

(ब) चल सम्पत्ति:- **निरक**

उपरोक्त संपत्तियो के अलावा ट्रस्ट के पास कोई चल व अचल संपत्ति नहीं है।

लोक न्यास का नाम:- आनंद विहार जैन श्वेताम्बर मूर्ति पुजक संघ धार्मिक एवं पारिमाथिक न्यास 03 आनंद विहार कालोनी मंदसौर ट्रस्ट मंदसौर, म.प्र.

बिहारी सिंह, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(G-1654)

न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, बिचौली, हप्सी क्षेत्र, इन्दौर

क्र. 107-लोक न्यास-22

इन्दौर, दिनांक 17 जून 2022.

सूचना-पत्र

(फार्म-चार)

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व मध्य प्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत आवेदकगण ट्रस्टी श्री ट्रस्टी/अध्यक्ष श्री गुलाब शर्मा पिता श्री सोहनलाल शर्मा व अन्य द्वारा "एसोसिएशन ऑफ टॉप एचिवर स्काउट्स (ATAS) मध्यप्रदेश भारत ट्रस्ट" पता पता भागीरथ कृपा 104/2/2, बिचौली हप्सी रोड़, इन्दौर का पब्लिक ट्रस्ट की धारा 4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल संपत्ति का विवरण)

3	द्वस्ट का नाम :-	"एसोसिएशन ऑफ टॉप एचिवर स्काउट्स (ATAS) मध्यप्रदेश भारत ट्रस्ट"
	पता :-	पता भागीरथ कृपा 104/2/2, बिचौली हप्सी रोड़, इन्दौर
2	चल संपत्ति :-	न्यास की चल सम्पत्ति निरंक /- हे।
	अचल संपत्ति :-	निरंक हैं।

आज दिनांक 17/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

विशाखा देशमुख, पंजीयक.

(G-1655)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास
रायसेन जिला रायसेन (म.प्र.)

प्र. क्र. 002-बी-113(1)-2022-23

रायसेन, दिनांक 16 सितम्बर 2022

-:: फार्म-4 ::-

मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा 5(2) एवं
म0प्र0 पब्लिक ट्रस्ट रूल्स 1952 रूल्स 1952 के
नियम 5 (1) के अन्तर्गत

समक्ष पंजीयक, लोक न्यास, रायसेन जिला रायसेन

चूंकि प्रार्थी आवेदक श्री कैलाश सेन अधिवक्ता निवासी रायसेन व सचिव ट्रस्ट तहसील व जिला निवासी रायसेन की ओर से "सिद्ध श्री हनुमान मंदिर बावड़ीपुरा वार्ड क्रमांक 02 रायसेन" तहसील व जिला रायसेन द्वारा ट्रस्ट पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अन्तर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल/अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

एतद् द्वारा सूचित सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्रपर इस न्यायालय ने विचार किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतिगों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहे। निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

स.क्रं.	नाम वस्तु	विवरण	बजन तथा नग	राशि
1-	नगद	निरंक	निरंक	00.00
2-	अचल सम्पत्ति	कस्बा रायसेन तहसील रायसेन स्थित भूमि खसरा क्रमांक 225/1 रकबा 0.097 हेक्टेयर में से 55x55= 3025 वर्गफिट	निरंक	निरंक

आज दिनांक 16 /09/2022 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया।

एल.के. खरे, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(G-1656)

कार्यालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट अधिकारी, उज्जैन नगर जिला उज्जैन

क्र. -एसडीएम नगर-रीडर-1-2022-H.N.170-प्र. क्र. 0020-बी-113-22-23

उज्जैन, दिनांक 24 अगस्त 2022

प्र. क्र. 0020/ B-113/ 22-23

प्रारूप -चार
(नियम-5) 1 (देखिए)
सूचना-पत्र

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2)
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिए।

पंजीयक,

लोकन्यास,

उज्जैन जिला उज्जैन के समक्ष

चूंकि आवेदक "श्री रणकेश्वर धाम अज्जू भैया पारमार्थिक ट्रस्ट" द्वारा श्री वनराज पिता स्व. श्री सुशील चौरसिया अध्यक्ष, निवासी- 10, राजीव नगर आगर रोड, उज्जैन द्वारा "श्री रणकेश्वर धाम अज्जू भैया पारमार्थिक ट्रस्ट" उज्जैन (म.प्र.) पंजीकृत कार्यालय- एमआर-5, आगर मक्सी बायपास रोड उज्जैन ने म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में लोक न्यास के रूप में पंजीकृत कराने के लिये आवेदन किया है, एतद् द्वारा यह सूचना दिया जाता है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 30.09.22 को दोपहर 03:00 बजे स्थान- नवीन प्रशासनिक संकुल भवन के प्रथम तल में खण्ड-स के कक्ष क्रमांक-01 में विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन नगर जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 30.09.22 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यवाही, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता ओर कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा।

-:अनुसूची:-

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम:- "श्री रणकेश्वर धाम अज्जू भैया पारमार्थिक ट्रस्ट"
कार्यालय :- एमआर-5, आगर मक्सी बायपास रोड उज्जैन म.प्र.
अचल संपत्ति :- एमआर-5, आगर मक्सी बायपास रोड स्थित रणकेश्वरधाम मंदिर की भूमि, जिस पर न्यास का आधिपत्य है।
चल संपत्ति :- आवेदन में उल्लेखित चल सम्पत्ति का मूल्य 20,000/- रु. दर्शाया गया है।

संजीव साहू, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी.

क्र. -एसडीएम नगर-रीडर-1-2022-H.N.181

उज्जैन, दिनांक 7 सितम्बर 2022

प्रारूप -चार
(नियम-5) 1 (देखिए)

सूचना-पत्र

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2)
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिए।

पंजीयक,

लोकन्यास,

उज्जैन जिला उज्जैन के समक्ष

चूंकि आवेदक श्री किरणकांत मेहता पिता स्व. श्री दामोदर अध्यक्ष, द्वारा श्रीमती हेमकांता-दामोदर मेहता स्मृति पारमार्थिक न्यास कार्यालय- 37, सुभाष नगर सांवेर रोड उज्जैन द्वारा "श्रीमती हेमकांता-दामोदर मेहता स्मृति पारमार्थिक न्यास" उज्जैन (म.प्र.) पंजीकृत कार्यालय- 37, सुभाष नगर सांवेर रोड उज्जैन ने म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में लोक न्यास के रूप में पंजीकृत कराने के लिये आवेदन किया है, एतद् द्वारा यह सूचना दिया जाता है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 11/10/2022 को दोपहर 03:00 बजे स्थान- नवीन प्रशासनिक संकुल भवन के प्रथम तल में खण्ड-स के कक्ष क्रमांक-01 में विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन नगर जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 10/10/2022 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यवाही, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता ओर कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा।

-:अनुसूची:-

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम:-	"श्रीमती हेमकांता-दामोदर मेहता स्मृति पारमार्थिक न्यास"
कार्यालय :-	37, सुभाष नगर सांवेर रोड उज्जैन म.प्र.
अचल संपत्ति :-	वर्तमान में ट्रस्ट के पास अचल संपत्ति के रूप में ग्राम जियापुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 3142/1/1 रकबा 0.209 हे. (एक बीघा) भूमि दर्शाई है।
चल संपत्ति :-	आवेदन में उल्लेखित चल सम्पत्ति का मूल्य 25,000/- रु. दर्शाया गया है।

संजीव साहू, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(G-1658)

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास अनुभाग राऊ-इन्दौर, जिला इन्दौर

क्र. 552-री.राऊ-2022

इन्दौर, दिनांक 23 अगस्त 2022

(फार्म-चार)

आवेदक श्री विपिन पगारिया पिता श्री धरमचंद पगारिया निवासी-129-सी कालानी नगर इन्दौर एवं अभय बागरेचा पिता श्री बाबुलाल बागरेचा पता-80-बी, सुदामा नगर इन्दौर श्री पार्श्वनाथ पद्मावती सेवा न्यास इन्दौर पता-364, स्कीम न0 97, भाग-4, स्लाईस नंबर 4, वी.आय.पी. परस्पर नगर इन्दौर लोक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अन्दर इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	श्री पार्श्वनाथ पद्मावती सेवा न्यास इन्दौर
पता:-	पता-364, स्कीम न0 97, भाग-4, स्लाईस नंबर 4, वी.आय.पी. परस्पर नगर इन्दौर
अचल सम्पत्ति	निरंक
चल सम्पत्ति	निरंक

आज दिनांक 23/8/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन की मुद्रा से प्रसारित किया

गया।

(G-1659)

क्र. 546-री.राऊ-2022

(फार्म-चार)

आवेदक रामकिशोर वर्मा पिता रामनिवास वर्मा निवासी-343, द्वारकापुरी कॉलोनी इन्दौर द्वारा श्री साईं लक्ष्मी नारायण सेवा समिति पता-162 अहिरखेड़ी इन्दौर लोक न्यास के पंजीयन हेतु म.प्र. प्रदेश लोक न्यास अधिनियम की धारा 4 के अधिन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदन पत्र के संलग्न राशि रुपये 5/- का चालान, रजिस्ट्री की छायाप्रति एवं सभी न्यासीयों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी प्रस्तुत की गई।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अन्दर इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	श्री साईं लक्ष्मी नारायण सेवा समिति
पता:-	पता-162 अहिरखेड़ी इन्दौर
अचल सम्पत्ति	निरंक
चल सम्पत्ति	11,000/- से न्यास शुरू किया गया।

आज दिनांक 30/08/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन की मुद्रा से प्रसारित किया

गया।

प्रतुल सिन्हा, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(G-1660)

अन्य सूचनाएं कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

क्र. परिसमापन-2022-952

विदिशा, दिनांक 2 अगस्त 2022

//आदेश//

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2016/958, दिनांक 23.09.2016 से श्री जैन समाज बहु. सहकारी संस्था मर्यादित विदिशा को परिसमापन में लाया गया था।

संस्था के परिसमापक श्री एम.एस.भदौरिया, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था को पुर्नजीवित करने के लिए पत्र क्र./क्यू/2022 दिनांक 15.05.2022 से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। अतः परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था को पुर्नजीवित किया जाना सदस्यों के हित में है।

अतः मैं पुष्पेन्द्र कुमार कुशवाहा, प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69(4) तथा शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह -1-सी, भोपाल दिनांक 26.07.1999 के अंतर्गत श्री जैन समाज बहु. सहकारी संस्था मर्यादित विदिशा जिला विदिशा पंजीयन क्र./4308, दिनांक 17.04.1940 को पुर्नजीवित करता हूँ।

परिसमापित संस्था के कार्य संचालन हेतु विशेष आमसभा दिनांक 08.05.2022 को निर्णय क्र.03 में नामांकित प्रबंधकारिणी समिति प्रस्तावित की है जिसे नामांकित किया जाता है जिसका विवरण निम्नानुसार है -

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. श्री मोहन कुमार जैन/स्व. श्री सुन्दर लाल जैन | - | अध्यक्ष |
| 2. श्री आनंद कुमार जैन/स्व. श्री राजमल जैन | - | उपाध्यक्ष |
| 3. श्रीमती हीराबेन/राघवजी भाई | - | संचालक |
| 4. श्री चेतन जैन/स्व. श्री नंदनलाल जैन | - | संचालक |
| 5. श्री प्रमोद जैन/स्व. श्री राजमल जैन | - | संचालक |
| 6. श्री अभय जैन/स्व. श्री मोतीलाल जैन | - | संचालक |
| 7. श्री सतेन्द्र लश्करी/स्व. श्री मुरारीलाल | - | संचालक |
| 8. श्री रवि प्रकाश जैन/स्व. श्री बाबूलाल जैन | - | संचालक |
| 9. सुश्री सरोज/श्री अमरचंद जैन | - | संचालक |
| 10. श्री करकेश जैन/श्री खेमचंद जैन | - | संचालक |
| 11. श्री राजमल पटोदी/इंदौरीलाल | - | संचालक |

संस्था के लिए यह बाध्य कर होगा कि वह एक सप्ताह में निर्वाचन प्रस्ताव प्रस्तुत कर 03 माह के अंदर निर्वाचन सम्पन्न करायें।

यह आदेश आज दिनांक 02.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी

पुष्पेन्द्र कुमार कुशवाहा, प्रभारी उप पंजीयक.

(G-1661)

कार्यालय, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थायें, जिला सिवनी

क्र. सह-परि.-22-क्यू

सिवनी, दिनांक 5 सितम्बर 2022

(म0प्र0सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 57(सी/ग) के अंतर्गत)

जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियों जिसे उप पंजीयक सहकारी समितियों, जिला- सिवनी के आदेश के अंतर्गत म0प्र0सहकारी समितियों अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापनाधीन संस्था का नाम	पंजीयन क्र.	परि.आदेशक्र./दिनांक
01	मांझी मछुआ सहकारी समिति मर्या0 नागदहार	880	1650 / 08.08.2022
02	काल भैरव बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 आदेगांव	1083	1633 / 08.08.2022
03	महालक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 दरबई	1065	1617 / 08.08.2022
04	बैनगंगा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 छपारा	955	1606 / 08.08.2022
05	महिला कामगार एवं श्रमठेका सहकारी समिति मर्या0 छपारा	977	1766 / 18.08.2022
06	बैनगंगा श्रमठेका सहकारी समिति मर्या0 छपारा	1000	1781 / 18.08.2022
07	अनुसूचित जाति श्रमठेका सहकारी समिति मर्या0 छपारा	1005	1783 / 18.08.2022
08	सहयोग साख एवं कल्याण सहकारी समिति मर्या0 सिवनी	1017	1786 / 18.08.2022

उक्त परिसमापित समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं।

अतः मैं एन0डी0कटरे परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं जिला सिवनी मध्यप्रदेश सहकारी समितियों अधिनियम (नियम) 1962 के नियम 57(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतद् द्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित में एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समझ कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास की स्थिति में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे। प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे। तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बाबद अंतिम प्रतिवेदन उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार, अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी व्यक्ति/सदस्य के पास हों तो वह भी मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि यदि किसी के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

यह सूचना आज दिनांक 05.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

एन डी कटरे, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(G-1662)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सिवनी

क्र. सह-परि.-22-क्यू

सिवनी, दिनांक 1 सितम्बर 2022

(म0प्र0सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 57(सी/ग) के अंतर्गत)

जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियों जिसे उप पंजीयक सहकारी समितियों, जिला- सिवनी के आदेश के अंतर्गत म0प्र0सहकारी समितियों अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापनाधीन संस्था का नाम	पंजीयन क्र.	परिआदेशक्र./दिनांक
01	02	3	04
01	कामगार श्रमठेका सहकारी समिति मर्या0 धनककड़ी	0761	1794 / 18.08.2022
02	पिछड़ा विकास श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या0 सिवनी	1046	1787 / 18.08.2022
03	सेवा सरस्वती विकलांग सहकारी समिति मर्या0 एंणारिया	0989	1778 / 18.08.2022
04	नवचेतना महिला बहु.अ.जा./अजजा./शक्तिशुभ सह.समिति मर्या0 आमई	0987	1776 / 18.08.2022
05	साक्षी लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 सिहोरा	1008	1663 / 08.08.2022
06	जागृति मत्स्य सहकारी समिति मर्या0 भरदा	0893	1651 / 08.08.2022
07	बलराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 लखनादौन	0864	1603 / 08.08.2022
08	अरण्य चिकित्सा वन परिक्षेत्र सह0समिति मर्या0 धूमा	0973	1733 / 16.08.2022

उक्त परिसमापित समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं।

अतः मैं एम0के0वाञ्जल परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं जिला सिवनी मध्यप्रदेश सहकारी समितियों अधिनियम (नियम) 1962 के नियम. 57(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतद् द्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित में एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समझ कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास के दिनों में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे। प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिनों का अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे। तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बाबद अंतिम प्रतिवेदन उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार, अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी व्यक्ति/सदस्य के पास हों तो वह भी मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि यदि किसी के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

यह सूचना आज दिनांक 01.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

एम. के. वाञ्जल, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(G-1663)

कार्यालय, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थायें, जिला सिवनी

क्र. सह-परि.-22-क्यू

सिवनी, दिनांक 8 सितम्बर 2022

(म0प्र0सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 57(सी/ग) के अंतर्गत)

जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियाँ जिसे उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, जिला- सिवनी के आदेश के अंतर्गत म0प्र0सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापनाधीन संस्था क्र. (म)	पंजीयन क्र.	परि.आदेशक्र./दिनांक
01	02	3	04
01	श्रीराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 खैरापलारी	1055	1610/08.08.2022
02	प्राथमिक लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 खापा	1023	1674/08.08.2022
03	उन्नति महिला बोरा बोरी कय विक्रय सहकारी समिति मर्या. सिवनी	1047	1788/18.08.2022
04	गैस उपभोक्ता सहकारी समिति मर्या. सिवनी	1053	1792/18.08.2022
05	सहयोगी आ.जा. महिला श्रमिक कल्याण एवं निर्माण सहकारी समिति मर्या. घसौर नागाबाबा	1048	1789/18.08.2022
06	ओम नर्सरी सहकारी समिति मर्या. कोहका	1049	1790/18.08.2022
07	मानव सेवा सहकारी समिति मर्या. सिवनी	1050	1791/18.08.2022

उक्त परिसमापित समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं।

अतः मैं नेहा मर्सकोले परिसमापक एवं उप अंकेक्षक सहकारी संस्थाएं जिला सिवनी मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम (नियम) 1962 के नियम 57(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतद् द्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित में एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समक्ष कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास की स्थिति में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे। प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे। तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बाबद अंतिम प्रतिवेदन उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार, अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी व्यक्ति/सदस्य के पास हों तो वह भी मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि यदि किसी के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

यह सूचना आज दिनांक 08.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

नेहा मर्सकोले, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

(G-1664)

कार्यालय, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थायें, जिला सिवनी

क्र. सह-परि-22-क्यू

सिवनी, दिनांक 5 सितम्बर 2022

(म0प्र0सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 57(सी/ग) के अंतर्गत)

जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियों जिसे उप पंजीयक सहकारी समितियों, जिला- सिवनी का आदेश के अंतर्गत म0प्र0सहकारी समितियों अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापनाधीन संस्था का नाम	पंजीयन क्र	परि.आदेशक्र./दिनांक
01	आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या0 धूमा	867	1652 / 08.08.2022
02	विनायक स्टेशनर्स सहकारी समिति मर्या0 सिवनी	950	1717 / 16.08.2022
03	राजस्थानी महिला सहकारी समिति मर्या0 सिवनी	949	1716 / 16.08.2022
04	सिल्वर क्लब सांस्कृतिक एवं मनोरंजन सहकारी समिति मर्या0 सिवनी	948	1715 / 16.08.2022
05	मंगली पंच वर्कर्स सहकारी समिति मर्या0 सिवनी	947	1714 / 16.08.2022
06	मानव सेवा समर्पण एवं समाज सांस्कृतिक शिक्षण अंतर्गत प्रशिक्षण व सत्संग सहकारी समिति मर्या0 सिवनी	943	1712 / 16.08.2022
07	वैशाली सिविल सप्लायर्स सहकारी समिति मर्या0 सिवनी	942	1711 / 16.08.2022
08	म0प्र0राज्य सड़क परिवहन व्ही0आर0एस0कर्मचारी सहकारी समिति मर्या0 सिवनी	863	1709 / 16.08.2022
09	जगदम्बा समृद्धि विद्युत आपूर्ति सहकारी समिति मर्या0 सिवनी	873	1710 / 16.08.2022
10	बस स्थापक परिवहन प्रबंधन सहकारी समिति मर्या0 सिवनी	865	1708 / 16.08.2022
11	इंदिरा महिला औद्योगिक सहकारी समिति मर्या0 सिवनी	612	1707 / 16.08.2022
12	जिला स्टेशनर्स एवं बाईडिंग सहकारी समिति मर्या0 सिवनी	108	1706 / 16.08.2022

उक्त परिसमापित समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं।

अतः मैं एल0एन0साहू परिसमापक एवं उप अंकेक्षक सहकारी संस्थाएं जिला सिवनी मध्यप्रदेश सहकारी समितियों अधिनियम (नियम) 1962 के नियम 57(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतद् द्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो दावे लिखित में एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समझ कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास की स्थिति में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे। प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे। तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बाबद अंतिम प्रतिवेदन उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार, अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी व्यक्ति/सदस्य के पास हों तो वह भी मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि यदि किसी के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

यह सूचना आज दिनांक 05.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

एल. एन. साहू, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

(G-1665)

कार्यालय, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थायें, जिला सिवनी

क्र. सह-परि.-22-क्यू

सिवनी, दिनांक 5 सितम्बर 2022

(म0प्र0सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 57(सी)/ग) के अंतर्गत)

जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियाँ जिसे उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, जिला- सिवनी के आदेश के अंतर्गत म0प्र0सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापनाधीन संस्था का नाम	पंजीयन क्र	परि.आदेशक्र./दिनांक
01	02	3	04
01	प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 पौनारकलौ	1034	1683/08.08.2022
02	प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 धारनाकलौ	1033	1684/08.08.2022
03	महालक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 पिपरिया	1076	1626/08.08.2022
04	अनमोल लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 केकडई	1002	1660/08.08.2022
05	हरिओम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 जेवनारा	1090	1640/08.08.2022
06	विकास प्रगति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 अंतरा	1084	1634/08.08.2022
07	साई कृपा लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 अंखीवाड़ा	998	1658/08.08.2022
08	ऋचा लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 खामी	1004	1662/08.08.2022

उक्त परिसमापित समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं।

अतः मैं आकाश अहाके परिसमापक एवं उप अंकेक्षक सहकारी संस्थाएं जिला सिवनी मध्यप्रदेश सहकारी समितियों अधिनियम (नियम) 1962 के नियम 57(सी)/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतद् द्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित में एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समझ कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास की स्थिति में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे। प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे। तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बाबद अंतिम प्रतिवेदन उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार, अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी व्यक्ति/सदस्य के पास हों तो वह भी मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि यदि किसी के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

यह सूचना आज दिनांक 05.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।'

आकाश अहाके, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

(G-1666)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सिवनी

क्र. सह-परि-22-क्यू

सिवनी, दिनांक 2 सितम्बर 2022

(म0प्र0सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 57(सी/ग) के अंतर्गत)

जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियों जिसे उप पंजीयक सहकारी समितियों, जिला- सिवनी के आदेश के अंतर्गत म0प्र0सहकारी समितियों अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापनाधीन संस्था का नाम	पंजीयन क्र.	परि.आदेशक्र./दिनांक
01	02	3	04
01	बैनगंगा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 कटंगी	819	722 / 05.04.2022
02	भूमिहीन सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्या0 दुर्गापुर	277	722 / 05.04.2022
03	श्री महावीर व्यायाम शाला सहकारी समिति मर्या0 बलापुर	960	1725 / 16.08.2022
04	आदर्श वन लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 कुकुलाह	1019	1677 / 08.08.2022
05	देवी अनुपा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 बण्डोल	1095	1643 / 08.08.2022
06	अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 खामखरेली	1093	1642 / 08.08.2022
07	ओम साई राम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 लूधरवाड़ा	1091	1641 / 08.08.2022
08	दिव्या बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 छिंदग्वार	1085	1635 / 08.08.2022
09	गुरुनानक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 बखारी	1081	1631 / 08.08.2022
10	सर्वोदय बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 बिठली	1061	1613 / 08.08.2022
11	प्रज्ञा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 छिड़ियापलारी	1059	1612 / 08.08.2022
12	किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 सिवनी	958	1660 / 08.08.2022

उक्त परिसमापित समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं।

अतः मैं विजेता सूर्यवंशी परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं जिला सिवनी मध्यप्रदेश सहकारी समितियों अधिनियम (नियम) 1962 के नियम 57(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतद् द्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित में एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समझ कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास की स्थिति में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे। प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे। तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बाबद अंतिम प्रतिवेदन उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार, अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी व्यक्ति/सदस्य के पास हों तो वह भी मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि यदि किसी के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

यह सूचना आज दिनांक 01.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

विजेता सूर्यवंशी, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(G-1667)

कार्यालय, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थायें, जिला सिवनी

क्र. सह-परि-22-क्यू

सिवनी, दिनांक 2 सितम्बर 2022

(म0प्र0सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 57(सी/ग) के अंतर्गत)

जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियों जिसे उप पंजीयक सहकारी समितियों, जिला- सिवनी के आदेश के अंतर्गत म0प्र0सहकारी समितियों अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापनाधीन संस्था का नाम	पंजीयन क्र.	परि.आदेशक्र./दिनांक
01	02	3	04
01	आदर्श लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 साल्हेखुर्द	1003	1661/08.08.2022
02	प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 धपारा	0995	1656/08.08.2022
03	शक्ति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 दोदीवाड़ा	1088	1638/08.08.2022
04	आदिवासी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 मेहराबोड़ी	1087	1637/08.08.2022
05	शिवशक्ति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 जाम	1624	1624/08.08.2022
06	श्री वर्नी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 फरेंडा	1069	1621/08.08.2022
07	राजेश्वरी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 कतलबोड़ी	1063	1615/08.08.2022

उक्त परिसमापित समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं।

अतः मैं एस0डी0तंतुवाय परिसमापक एवं उप अंकेक्षक सहकारी संस्थाएं जिला सिवनी मध्यप्रदेश सहकारी समितियों अधिनियम (नियम) 1962 के नियम 57(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतद् द्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित में एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समझ कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास की स्थिति में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे। प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे। तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बाबद अंतिम प्रतिवेदन उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार, अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी व्यक्ति/सदस्य के पास हों तो वह भी मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि यदि किसी के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

यह सूचना आज दिनांक 02.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

एस. डी. तंतुवाय, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

(G-1667)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सिवनी

क्र. सह-परि-22-क्यू

सिवनी, दिनांक 6 सितम्बर 2022

(म0प्र0सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 57(सी/ग) के अंतर्गत)

जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियाँ जिसे उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, जिला- सिवनी के आदेश के अंतर्गत म0प्र0सहकारी समितियाँ अधिनियम 1950 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापनाधीन संस्था का नाम	पंजीयन क्र.	परि.आदेशक्र./दिनांक
01	02	3	04
01	आदर्श बैनगंगा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 रैपुरा	1077	1627 / 08.08.2022
02	बलराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 बम्होड़ी	1067	1619 / 08.08.2022
03	मत्स्य बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 खिरखिरी	350	1653 / 08.08.2022
04	जनकल्याण सहकारी समिति मर्या0 खापा	944	1713 / 16.08.2022
05	आदिवासी बुनकर सहकारी समिति मर्या0 बिछुआ	381	1648 / 08.08.2022
06	बलराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 गंगपुर	1066	1618 / 08.08.2022
07	किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 झुरकी	1062	1614 / 08.08.2022
08	वसुन्धरा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 अदीवाड़ा	1051	1608 / 08.08.2022
09	अंकुर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 पड़ोली	875	1605 / 08.08.2022
10	महालक्ष्मी प्राथ. लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 घरौर	1032	1685 / 08.08.2022

उक्त परिसमापित समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं।

अतः मैं सुप्रिया जैन परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं जिला सिवनी मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम (नियम) 1962 के नियम 57(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतद् द्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित में एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समझ कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास की स्थिति में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे। प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे। तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बाबद अंतिम प्रतिवेदन उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार, अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी व्यक्ति/सदस्य के पास हों तो वह भी मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि यदि किसी के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

यह सूचना आज दिनांक 06.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सुप्रिया जैन, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(G-1669)

**मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
(म.प्र. शासन का उपक्रम)**

मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन)

ब्लाक नं. 2, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर, मध्यप्रदेश

क्र. 04-02-195-यो. रूपां.-2068

जबलपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2022

यह कि केंद्रीय सरकार की विद्युत अधिनियम 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) की धारा 67(2) एवं धारा 176(2) जू के अधीन प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों के पालन हेतु मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (डीमंड ट्रांसमिशन लाईसेंसी) ने विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत की निकासी करने, विद्यमान अतिउच्चदाब विद्युत उपकेंद्रों से राज्य के अन्य क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने, राज्य के विभिन्न उत्पादन गृहों/उपकेंद्रों के बीच अति उच्चदाब लाइनों द्वारा अंतर्सम्पर्क स्थापित करने एवं विद्यमान पारेषण प्रणाली को सुदृढीकरण के उद्देश्य से 220 एवं 132 किलोवोल्ट पारेषण लाइनों एवं संबंधित उपकरणों की स्थापना हेतु पारेषण परियोजनायें स्वीकृत की हैं।

इन स्वीकृत पारेषण परियोजनाओं को मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड निम्नानुसार अधिसूचित करती है :-

(1) **नाम** : ये परियोजनायें 220 एवं 132 किलोवोल्ट (केव्ही) लाइनों एवं उपकेंद्रों से संबंधित कार्यों के निर्माण की परियोजनायें कहलायेंगी।

(2) **परियोजनाओं का विवरण** : परियोजनाओं में सम्मिलित विभिन्न कार्यों का क्षेत्र, लाइनों की लंबाई व अनुमानित लागत आदि का विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) **उपभोक्ता सहभागिता कार्य** :

1. मेसर्स एनरिच एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड पुणे के प्रस्तावित 50 मेगावॉट सौर ऊर्जा परियोजना को मध्यप्रदेश ग्रिड से संयोजकता हेतु 220 केव्ही. उपकेंद्र छनेरा से 132 केव्ही. डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई-1X2 कि.मी., अनुमानित लागत- रु. 207.33 लाख
2. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, जबलपुर द्वारा निर्मित एनएच-135 बीजी के सतना मैहर खंड के निर्माण के कारण 132 केव्ही. डीसीडीएस सतना मझगावां/सतना सीमेंट लाईन के लोकेशन क्रमांक 27 से 32 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, लंबाई- 2X1.3 कि.मी., अनुमानित लागत - रु. 154.54 लाख।
3. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, जबलपुर द्वारा निर्मित एनएच-135 बीजी के सतना मैहर खंड के निर्माण के कारण 132केव्ही. एकल परिपथ सतना इंटर कनेक्टर-1 लाईन के लोकेशन क्रमांक 25 से 30 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, लंबाई- 1X1.6 कि.मी., अनुमानित लागत- रु. 182.91 लाख।
4. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, जबलपुर द्वारा निर्मित एनएच-135 बीजी के सतना मैहर खंड के निर्माण के कारण 132केव्ही. डीसीडीएस सतना इंटर कनेक्टर-2 सतना-उचेहरा लाईन के लोकेशन क्रमांक 234 से 229 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, लंबाई- 2X1.5 कि.मी., अनुमानित लागत- रु. 163.08 लाख।
5. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, जबलपुर द्वारा निर्मित एनएच-135 बीजी के सतना मैहर खंड के निर्माण के कारण 132केव्ही. एकल परिपथ सतना प्रिज्म लाईन के लोकेशन क्रमांक 32 से 37 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, लंबाई- 2X1.3 कि.मी., अनुमानित लागत- रु. 203.88 लाख।
6. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई जबलपुर द्वारा निर्मित एनएच-135 बीजी के सतना मैहर खंड के निर्माण के कारण 220केव्ही. डीसीडीएस सतना रीवा बिरसिंहपुर लाईन के लोकेशन क्रमांक 25 से 30 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, लंबाई- 2X1.5 कि.मी., अनुमानित लागत- रु. 402.36 लाख।

7. 132के.व्ही. उपकेन्द्र जोरा आलापुर से उत्तर मध्य रेलवे, आगरा के आर.टी.एस. जोरा को विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही. डीसीडीएस (अफेज 6वायर) लाइन का निर्माण कार्य, लंबाई— 2x7 कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 1286.07 लाख।
8. 220 केव्ही सतना—बिरसिंहपुर डीसीडीएस लाइन के लो.क. 25 से 30 तक भारतमाला परियोजना के अंतर्गत एनएच—135 बीजी सड़क के निर्माण के कारण नवीनीकरण कार्य, लंबाई— 3.213 कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 402.36 लाख।
9. 132 केव्ही सतना इंटरकनेक्टर सिंगल सर्किट लाइन के लो.क. 25 से 30 तक भारतमाला परियोजना के अंतर्गत एनएच—135 बीजी सड़क (सतना—मैहर सेक्शन) के निर्माण के कारण नवीनीकरण कार्य, लंबाई— 2.56 कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 182.91 लाख।
10. 132 केव्ही सतना इंटरकनेक्टर सर्किट—दो व उचेहरा लाइन के लो.क. 234 से 229 तक भारतमाला परियोजना के अंतर्गत निर्मित की जा रही एनएच—135 बीजी सड़क (सतना—मैहर सेक्शन) के निर्माण के कारण नवीनीकरण कार्य, लंबाई— 2.462 कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 163.08 लाख।
11. 132 केव्ही डीसीडीएस सतना—प्रिज्म सीमेंट लाइन के लो.क. 32 से 37 तक भारतमाला परियोजना के अंतर्गत निर्मित की जा रही एनएच—135 बीजी सड़क (सतना—मैहर सेक्शन) के निर्माण के कारण नवीनीकरण कार्य, लंबाई— 1.535 कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 203.83 लाख।
12. 132 केव्ही डीसीडीएस सतना—मझगंवा/सतना सीमेंट लाइन के लो.क. 27 से 32 तक भारतमाला परियोजना के अंतर्गत निर्मित की जा रही एनएच—135 बीजी सड़क (सतना—मैहर सेक्शन) के निर्माण के कारण नवीनीकरण कार्य, लंबाई— 1.37 कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 154.24 लाख।
13. 220 केव्ही उपकेन्द्र अशोक नगर के पास नई मंडी यार्ड कृषि उपज मंडी समिति अशोक नगर म.प्र. द्वारा निर्माण के कारण 132 केव्ही डीसीडीएस बीना—गुना लाइन का नवीनीकरण कार्य, लंबाई— 1.4 कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 182.48 लाख।

(ब) कुल अनुमानित लागत :

उपरोक्त कार्यों की कुल अनुमानित लागत लगभग रु. 39.00 करोड़ है।

(3) टॉवर, खंभे, तार आदि लगाने का अधिकार :

उपरोक्त स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रदत्त सभी अधिकारों एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये अनुज्ञप्तिधारियों का संकर्म नियम 2006 के अधिकारों का भी प्रयोग करेगी। विद्युत के पारेषण एवं वितरण के लिए अथवा टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक सिग्नलों के पारेषण हेतु टावर, खंभे, तार, दीवार ब्रेकेट, स्टे यंत्रों और उपकरणों को लगाने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) एवं उपरोक्त वर्णित नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को ये सभी अधिकार हैं एवं उनका वह उपयोग करेगी जो भारतीय तार यंत्र अधिनियम 1885 (1885 का 13) के तहत भारतीय तार यंत्र प्राधिकरण को रखरखाव अथवा स्थापित या भविष्य में स्थापित किये जाने वाले तार यंत्र के संबंध में प्राप्त हैं।

(4) एतद् द्वारा मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत उपरोक्त पारेषण परियोजनायें राजपत्र एवं समाचार-पत्रों में प्रकाशन द्वारा जनता को अधिसूचित की जाती हैं।

0

एस. के गायकवाड़, मुख्य अभियंता (मा.संसा. एवं प्रशा.).

(G-1670)

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर 2022—आश्विन 8, शक 1944

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)